

कार्यालय गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर

निविदा आमंत्रण प्रपत्र

(निविदादाताओं हेतु निर्देश, शर्तें एवं प्रतिबन्ध)

विज्ञप्ति सं०..... दिनांक, मूल्य रु०-1,500.00+जी०एस०टी०

उद्घोषणा/कार्य का नाम :

गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के प्रेक्षागृह की चाहरदीवारी की मरम्मत एवं रंगाई पुताई का कार्य, प्रेक्षागृह के वाहर बने क्षतिगस्त नाले की मरम्मत का कार्य, संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक कक्ष के मध्य में बने शौचालय को संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक कक्ष के साथ जोड़ते हुए द्वार लगाने का कार्य, कार्यालय एवं छात्रावास/सहायक चीनी आयुक्त कार्यालय के द्वार पर दिव्यांगजन हेतु रैम्प का निर्माण कार्य, छात्रावास के प्रथमतल पर स्थित कार्मैन हाल की मरम्मत एवं रंगाई पुताई कार्य, छात्रावास के प्रथमतल पर स्थित शौचालय से सहायक चीनी आयुक्त कार्यालय हेतु आंबटित भूतल के शौचालय में पानी के अत्याधिक रिसाव तथा शौचालय के नल, कमोड इत्यादि की मरम्मत सम्बन्धित कार्य

1. मानक प्रपत्र :

विभागीय website- www.sugarcane.uk.gov.in पर निविदा दाताओं के उपयोगार्थ कार्य से संबंधित सामान्य निविदा, शर्तें निविदा प्रपत्र व मात्राकृत दर सूची शर्तों के साथ भी प्रदर्शित की जा रही है।

2. अनुमानित लागत रु०:
(कन्टीनजेन्सी व G.S.T सहित)

10.63 लाख

3 निविदा का प्रकार:

एकल प्रणाली

4. निविदा लागत(G.S.T सहित) रु० :

10.32 लाख

5. निविदा प्रतिभूति की धनराशि रु० :

रु० 20,700.00

6जमानत:

अनुबन्ध के पूर्व अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन वाणिज्यिक बैंकों से निर्गत अदाता के नाम एकाउन्ट पेई डिमाण्ड ड्राफ्ट सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी आदि के रूप में अनिवार्यतः 5 प्रतिशत कार्यपूर्ति गारंटी एवं प्रतिपूर्ति निक्षेप हेतु 5 प्रतिशत को अलग अलग उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें 5 प्रतिशत को Retention Money के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

7. कार्य पूरा करने का समय :

01 माह

8. क्षतिपूर्ति प्रतिभूति

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन (निर्माण कार्य में विलम्ब के लिये संविदा मूल्य का 0.50 प्रतिशत प्रति सप्ताह परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत वसूला जायेगा)

9. निविदा की वैधता

: 45 दिन

10. ठेकेदार का नाम

:

(जिसे निविदा फार्म बेचा गया तथा पूरा पता)

11. ठेकेदार की वैध पंजीकृत श्रेणी :

(स्वसत्यापित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति सहित)

12. निविदा फार्म के साथ कुल संलग्नकों की संख्या :

निविदा फार्म जारी करने वाले अधिकारी के

Rajesh Kumar

हस्ताक्षर

सहायक निदेशक
गन्ना किसान संस्थान
काशीपुर

1. निविदाओं का मुहरबन्द होना आवश्यक है अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
 2. निविदा खोलते समय सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। निविदादाता की अनुपस्थिति में निविदायें खोलने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
 3. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में संरक्षित कर प्रस्तुत की जाएगी। निविदादाता द्वारा लिफाफे के ऊपर अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड लिखा होना एवं विज्ञापन संख्या और कार्य का नाम उल्लेखित होना चाहिये।
 4. कार्य के किसी भी आइटम की मात्रा घट/बढ़ सकती है जिसकी दर के सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। यदि किसी आइटम की यूनिट में मिसप्रिंट अथवा स्पेशिफिकेशन में अन्तर स्पष्ट होता है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की शैड्यूल की यूनिट व अद्यतन विस्तृत स्पेशिफिकेशन मान्य होगी।
 5. कार्य निर्धारित समय के अन्दर, समय सारणी के अनुसार पूर्ण करना होगा, अन्यथा ठेका रद्द कर तत्समय जमा जमानत की धनराशि (2 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी को सम्मिलित कर) निक्षेपित/जब्त कर ली जायेगी। ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की माँग में दिये गये तर्कों को कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता की सहमति व शासन के तत्समय के नियमों के तहत ही समय वृद्धि दी जायेगी। इस विषय पर अनुबन्ध कर्ता अधिकारी का निर्णय स्वीकार होगा।
 6. समस्त कार्य तथा उसका प्रत्येक आइटम विभागीय नियम निर्देश व स्पेशिफिकेशन के आधार पर सम्पन्न करना होगा। कार्य पूर्ण होने के 24 माह बाद तक कार्य में पायी जाने वाली त्रुटि के लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस अवधि में Retention Money विभाग में जमा रहेगी।
 7. कार्य के अनुबन्ध के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अर्बिट्रेटर के रूप में निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 8. यदि ठेकेदार के ऊपर विभाग की कोई धनराशि वाजिब रह जाती है तो उसकी वसूली कानूनी तौर पर राजस्व विभाग के माध्यम से की जायेगी।
 9. कार्य की अन्तिम माप अंकित किये जाने तक समस्त मैटीरियल की देख-रेख व कार्य की स्टैविलिटी आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
 10. एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित रहेगा।
 11. तकनीकी निविदा के साथ 100/रु0 मूल्य का नान ज्यूडीशियल नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश इस प्रकार अपेक्षित है कि:-
- (1) पूर्व में उसकी पंजीकृत/फर्म को सम्पूर्ण राज्य उत्तराखण्ड व अन्य प्रदेश में किसी भी अधिप्राप्ति कर्ता संस्था द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।
 - (2) निविदा दाता फर्म/ठेकेदार का निविदा कमेटी के किसी सदस्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, कार्य प्रस्ताव अथवा सम्पादन के लिए नियामक की ओर से नियुक्त पदाधिकारी से कोई सम्बन्ध नहीं है।
 - (3) निविदा प्रपत्रों के साथ चाहे गये सभी प्रपत्र वैध रूप में प्रस्तुत किये गये हैं किसी तथ्य के असत्य, भ्रामक या असंवैधानिक पाये जाने पर निविदा निरस्त करने अथवा निविदा प्रतिभूति जब्त करने का अधिकार अपर गन्ना एवं चीनी आयुक्त उत्तराखण्ड काशीपुर में निहित होगा।
 - (4) शपथ पत्र में उद्घाटित तथ्य सत्य और साक्ष्यों के आधार पर सही है।
12. पावर आफ अटार्नी मान्य नहीं होगी।
 13. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी दुर्घटना व जानमाल के क्षति के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
 14. स्वप्रमाणित जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 15. सामग्री की मात्राओं के अनुसार सैम्पल टेस्टिंग राज्य की प्रयोगशालाओं में कराया जायेगा जिसमें आने वाला व्यय ठेकेदार के बिलों से वसूला जायेगा। यदि ठेकेदार जानबूझ कर किसी सामग्री की क्वालिटी में विवाद पैदा करता है तो उसकी जाँच की फीस भी ठेकेदार के बिल से ही वसूली जायेगी।
 16. कार्य की प्रगति के दौरान रनिंग भुगतान अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत से नीचे की धनराशि का नहीं किया जायेगा। माप पुस्तिका बनने के एक माह के अंदर भुगतान होगा। इस बीच की अवधि में ठेकेदार कार्य बंद नहीं करेगा।
 17. निविदा विभागान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों को ही बेची जायेगी।
 18. ठेकेदार को यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि संस्थान परिसर व आवासीय कालोनी की सुरक्षा व्यवस्था में आपके द्वारा कार्य कराये जाने के दौरान कोई कमी न होने पाये।
 19. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार न्यूनतम निविदा लागत के कार्य को ठेकेदार से जी0पी0डब्लू0 9 की शर्तों पर तैयार किये गये अनुबन्ध पर ठेकेदार को हस्ताक्षर करने होंगे। (अनुबन्ध प्रपत्र को कार्यालय में देखा जा सकता है)
 20. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार परफारमेन्स सिक्योरिटी डिपोजिट करनी होगी।
 21. बिलों से नियमानुसार जी0एस0टी0, लेबर सेस, आयकर की कटौती की जायेगी। खनिज मैटीरियल में रायल्टी जमा करने का प्रमाण भी विभाग में उपलब्ध कराना होगा।

Rajesh
J.E

21.6.16

22. डाउनलोड निविदा प्रपत्र के मूल्य को निविदा पेटी में निविदा डालने से एक दिन पूर्व की तिथि, के बैंक ड्राफ्ट (संयुक्त निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) से अथवा विभाग में नगद जमा उपरान्त रसीद कटवाकर अदा करना होगा।
23. भवन निर्माण कार्य हेतु निविदादाता को विगत 03 वर्षों में प्रत्येक वर्ष निविदा लागत के मूल्य अथवा इससे अधिक लागत के कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी अनुभव प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
24. निविदा धरोहर निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत धन (टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के पदनाम का बना हुआ) के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। मापदण्डों को पूरा करने वाले निविदा दाताओं की निविदा स्वीकार होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म को निविदा लागत का 10 (2 प्रतिशत प्रतिभूति सहित) प्रतिशत जमानत/कार्यपूर्ति प्रतिभूति/धरोहर की धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 वाणिज्यिक बैंक से सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में सहायक निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर के पदनाम से निगत हो (जिसमें से 5 प्रतिशत की धनराशि Defect liability अवधि तक के लिए बैंक हो) प्रस्तुत करनी होगी तभी कार्यादेश दिया जायेगा।
25. निविदा स्वीकार किए जाने के बाद 7 दिन के अन्दर ठेकेदार को कार्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा 2 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
26. शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10.07.2024 के अनुसार जी0एस0टी0सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Due Certificate) निविदा कय करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
27. निविदा प्रकाशन के उपरान्त विभाग में पंजीकृत नवीन ठेकेदार उक्त निविदा हेत मान्य नहीं होंगे। प्रस्तावित कार्य को निर्धारित समय अर्न्तगत पूर्ण कराते हुए विभिन्न वस्तुओं/कार्यों/घटकों का रंगीन फोटो(जो कि अध्यावधिक किये गये कार्य की प्रगति दर्शाता हो) कार्यालय में जमा करने के साथ किये गये कार्य का बिल भी प्रस्तुत करना होगा।


(राजेश चौधरी)
कनिष्ठ अभियन्ता
गन्ना विकास परिषद
काशीपुर, ऊधमसिंहनगर


(नीलेश कुमार)
सहायक निदेशक
गन्ना किसान संस्थान मुख्यालय
एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर


राजेश कुमार
अधिशासी अभियन्ता गन्ना

बिल आफ क्वांटिटी में दी गयी दर व शर्त एवं निविदा शर्तों को मैंने भली भाँति पढ़ लिया है। इन्हीं के आधार पर निविदा प्रपत्र में अपनी निविदा भरकर इसे निविदा फार्म के साथ संलग्न कर बन्द लिफाफे के अन्दर रखते हुए निविदा पेटी में डाल रहा हूँ।

हस्ताक्षर ठेकेदार

मैं हम..... पुत्र श्री..... निवासी..... का हूँ/हैं। मैंने हमने उपरोक्त कार्य से संबंधित निविदा सूचना दिनांक..... को पढ़ी तथा कार्यस्थल, की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। कार्यस्थल की समस्त परिस्थितियों, विभागीय नियम व शर्तों की दृष्टिगत रखते हुए मैं/हम अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे हैं तथा उपरोक्त कार्य को संलग्न बिल आफ क्वांटिटी की दरों से..... (अंकों व शब्दों में) प्रतिशत कम/अधिक पर करने को तैयार हूँ/हैं।

जमा की गयी अर्नेस्ट मनी का विवरण निम्न प्रकार है—

रूपये.....

रसीद सं०..... दिनांक.....

बैंक ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 सं०.....

ह0 ठेकेदार

(कार्यालय कार्य के लिये)

आज दि०..... मे निविदा कमेटी द्वारा निविदा खोली गयी। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत की गयी।

निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा कमेटी, के प्रस्ताव पर निदेशक, गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, काशीपुर द्वारा दिनांक..... को द्वारा कार्य कराने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।